20/9/16

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश–पत्रक ता0.. से.. तक

जिला–बोकारो वाद संख्या.......... 01 ..../2016–17

केस का प्रकार – अतिक्रमण B.P.L.E 01/2016-17

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहीत
01.09.2016	मुख्य मंत्री जन संवाद केन्द्र, झारखण्ड के Grievance No – 2016-56019, Registration No – IN/Bok – 6523, दिनांक- 09.08.2016 के स्थल निरीक्षण उपरान्त अधोहस्ताक्षरी (अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा) के द्वारा पाया गया कि मौजा - तेलो, मौजा सं0 - 100, खाता सं0 - 291, प्लाट सं0 - 7742 एवं 7744 के लगभग एक एकड़ (1.00 एकड़) भूमि पर पोल्ट्री फार्म हेतु खुदाई निर्माण कार्य श्री मोहन महतो, पिता - भागीरथ महतो साकिन - ग्राम+पो0 - तेलो, थाना - चन्द्रपुरा, जिला - बोकारो के द्वारा कराया जा रहा है। उपस्थित राजस्व कर्मचारी, हल्का सं0 - III श्री अशफाक अहमद के द्वारा बताया गया कि भूमि गैर मजरुआ खास, किस्म- जंगल की भूमि है। श्री नकुल महतो से राजस्व कागजात की माँग की गई किन्तु वे कोई भी कागजात उपस्थापित करने में असमर्थ रहे। उनके पिता श्री भागीरथ महतो, पिता - सूरत महतो के द्वारा भी किसी प्रकार का कागजात उपर्युक्त भूमि के समर्थन में उपस्थापित करने में असमर्थता जताई गई। ~~अतः उपरोक्त भूमि~~ अतः उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण का मामला प्रतीत होता है। अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के माध्यम से राजस्व कर्मचारी को प्रस्ताव प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन देने को कहें। अभिलेख दिनांक 06.09.2016 को रखें। (हस्ताक्षर) 01.09.16 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा	

06.09.2016 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। जाँच प्रतिवेदन से उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि की गई है।

अंचल अमीन से मापी प्रतिवेदन की माँग करें।

अतिक्रमणकारी ① श्री मोहन महतो, पिता - भागीरथ महतो एवं ② भागीरथ महतो, पिता - मूरत महतो, ग्राम - ग्राम + पोस्ट - तेलो थाना - चन्द्रपुरा, जिला - बोकारो को नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 20.09.2016 को रखें।

ह० 06.09.16
अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा

20.09.2016 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है।

अतिक्रमणकारी श्री मोहन महतो पिता - भागीरथ महतो तथा श्री भागीरथ महतो पिता - मूरत महतो उपस्थित हैं। लिखित में जवाब दाखिल किया है।

वादी से मूल कागजात / सत्यापित प्रति पेश करने को कहें। अंचल अमीन से मापी प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः माँगें।

अभिलेख दिनांक 20.10.2016 को रखें।

ह० 20.09.16
अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा

20.10.2016 अभिलेख उपस्थापित।

~~वादी पक्ष अनुपस्थित हैं। पुनः नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 27.10.2016 को रखें।~~ ह०

अंचल अमीन ने मापी प्रतिवेदन समर्पित किया है तथा राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के माध्यम से संशोधित अतिक्रमण प्रस्ताव देते हुए चन्द्रपुरा अंचल अंतर्गत मौजा - तेलो, मौजा सं० - 160, खाता सं० - 291, प्लाट सं० - 7697 एवं शामिल प्लाट सं० - 7742, रकबा - 0.50 डि० प्लाटों का रकबा - 1.25 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि की है। प्रतिवेदन अनुसार वर्णित भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। अतः अतिक्रमण मुक्त करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित ~~प्लाटों पर~~ भूमि पर अतिक्रमणवाद के तहत संशोधित नोटिस निर्गत करें।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.12.16 13:01:38 +05:30
Location: 192.168.1.33